# प्रेस नोट–12.01.2021

# क्राइम ब्रान्च व थाना रामगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।

## कलुआ गैंग के 05 सदस्य डकैती की योजना बनाते हुये गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध असलाह, कारतूस, शटर/अलमारी तोड़ने के उपकरण व पूर्व में ज्वैलर्स के यहाँ की गई चोरी का माल बरामद।

- **पकड़े गये डकैत कलुआ गैंग व बधिक जाति से रखते हैं सम्बन्ध, ज्वैलर्स की रैकी कर डालते हैं डकैती।**
- **01 दिन पूर्व गैंग के 10 सदस्यों के गिरफ्तार होने के बाद भी बना रहे थे डकैती की योजना।**
- **साथियों की गिरफ्तारी होने से गैंग की तरफ से पुलिस का ध्यान हट गया होगा यही सोचकर बनाई थी घटना की योजना।**
- **यह बदमाश हैं काफी दुर्दान्त व दुस्साहसिक, घटना करते समय थे हत्या करने के मन्सूबे।**
- **यदि नहीं पकड़े जाते तो देते भयावह घटना को अन्जाम।**

दिनांक 11.01.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना शिकोहाबाद, खैरगढ़ व फरिहा क्षेत्रान्तर्गत ज्वैलर्स के यहाँ डकैती/चोरी डालने वाले गैंग के 10 सदस्यों को जनपद की क्राइम ब्रान्च टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध असलाह व ज्वैलर्स के यहाँ की गई डकैती/चोरियों के माल की बरामदगी कर जेल भेजा गया था जिससे गैंग के अन्य सदस्यों के सम्बन्ध में जानकारी हासिल हुई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक, नगर व ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेत्रत्व में क्राइम ब्रान्च व जनपदीय पुलिस को सतर्कता के साथ गैंग के शेष सदस्यों की गतिविधियों पर नजर रखते हुये गिरफ्तारी व किसी अप्रिय घटना को रोकने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में दिनांक 11.01.2021 पुलिस टीम ऑपरेशन चक्रव्यूह के अन्तर्गत चैकिंग के दौरान उस समय सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कलुआ गैंग के बदमाश बाईपास कट के पास सांई रैस्टोरैण्ट के पास किसी धनवान व्यक्ति के घर में डकैती की योजना बना रहे हैं, यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल कार्यवाही करते हुये मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुये 05 व्यक्तियों को भारी मात्रा में अवैध असलाह, कारतूस व ज्वैलर्स की दुकानों के शटर व तिजोरी तोड़ने के उपकरणों सहित गिरफ्तार कर थाना रामगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गई है।

**अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण**:–पकड़े गये बदमाशों से पूछताछ की गई तो बताया कि हम लोग कलुआ गैंग के सदस्य हैं हमारे 09 साथी व 01 सुनार (जिसे हम लोग ज्वैलर्स के यहाँ डकैती/चोरियों से प्राप्त माल की बिक्री करते थे) पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जा चुके हैं। हम लोगों द्वारा अब से करीब 50 दिन पूर्व एक घटना चनौरा स्थिति ज्वैलर्स की दुकान में की थी उसका माल एक स्थान पर छुपा कर रख दिया था जिसकी जानकारी हमारे साथ ही सुनार को भी थी किन्तु पुलिस द्वारा सुनार को पकड़ लिया गया इसलिये हम लोग वहां से माल निकालकर फिरोजाबाद में किसी बड़ी घटना को अन्जाम देने की योजना बना रहे थे जिससे अधिक धन की प्राप्ति होने के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों में जाकर छुप जाते। हमारे गैंग के अन्य सदस्य भी पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से उत्तर प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों में भागने की फिराक में है।

## गिरफ्तार किये गये अभियुक्तः–

1. यतेन्द्र पुत्र हजारी लाल, नि0–बाग बधिक, थाना–सहपऊ, हाथरस।
2. केदार पुत्र इन्दल सिंह, नि0–बाग बधिक, थाना–सहपऊ, हाथरस।
3. अन्शु पुत्र मुकेश, नि0–बाग बधिक, थाना–सहपऊ, हाथरस।
4. मनोज कुमार पुत्र लोचन सिंह, नि0–बाग बधिक, थाना–सहपऊ, हाथरस।
5. अनिल कुमार पुत्र हरचरन सिंह, नि0–बाग बधिक, थाना–सहपऊ, हाथरस।

**बरामदगीः– (05 असलाह, 10 जिन्दा कारतूस व शटर/तिजोरी काटने के उपकरण)**

1. अवैध असलाह 315 बोर —**04 अदद।**
2. **अवैध तमन्चा 12 बोर —01 अदद।**
3. जिन्दा कारतूस 315 बोर —**08 अदद।**
4. **जिन्दा कारतूस 12 बोर —02 अदद।**
5. **ज्वैलर्स की दुकान के शटर/अलमारी काटने हेतु बरामद उपकरण**:— 01 हथोड़ा, 02 छैनी व अन्य उपकरण।

## चोरी से सम्बन्धित माल बरामदगीः—

1. तिजोरी —**01 अदद।**
2. सोने के आभूषण —**चूड़ी 04 अदद, हार—01 अदद, मंगलसूत्र—01 अदद, झाला—01 अदद, कलाई—01 अदद, चैन—01 अदद, झूमर—01 अदद।**
3. चॉदी के आभूषण —**पायल—12 जोड़ी, बैंदी—01 अदद, खड़ुआ—04 अदद, करधनी—01 अदद, हाय—सूरज—10 अदद।**

## अभियुक्तगण के विरूद्व पंजीकृत किये गये अभियोगः—

1. मु0अ0स0 24/2021, धारा—399/402 भा0द0वि0, थाना—रामगढ़, फिरोजाबाद।
2. मु0अ0स0 25/2021, धारा—03/25 आर्म्स एक्ट, थाना—रामगढ़, फिरोजाबाद। **बनाम यतेन्द्र उपरोक्त।**
3. मु0अ0स0 26/2021, धारा—03/25 आर्म्स एक्ट, थाना—रामगढ़, फिरोजाबाद। **बनाम केदार उपरोक्त।**
4. मु0अ0स0 27/2021, धारा—03/25 आर्म्स एक्ट, थाना—रामगढ़, फिरोजाबाद। **बनाम अन्शु उपरोक्त।**
5. मु0अ0स0 28/2021, धारा—03/25 आर्म्स एक्ट, थाना—रामगढ़, फिरोजाबाद। **बनाम मनोज उपरोक्त।**
6. **मु0अ0स0 29/2021, धारा—03/25 आर्म्स एक्ट, थाना—रामगढ़, फिरोजाबाद। बनाम अनिल उपरोक्त।**

उपरोक्त के अतिरिक्त इनके द्वारा किये गये अन्य अपराधों की जानकारी आस—पास के राज्य व जनपदों से एकत्रित की जा रही है।

## गिरफ्तार करने वाली टीमः—

1. निरीक्षक श्री देवेन्द्र शंकर पाण्डेय, क्राइम ब्रान्च, फिरोजाबाद।
2. प्रभारी निरीक्षक श्री अनूप तिवारी, थाना—रामगढ़, फिरोजाबाद।
3. श्री हरवेन्द्र मिश्रा, प्रभारी एस0टी0एस0, फिरोजाबाद।
4. व0उ0नि0 सामून अली, थाना—रामगढ़, फिरोजाबाद।
5. उ0नि0 सर्वेश कुमार, थाना—रामगढ़, फिरोजाबाद।
6. आरक्षी 1300 अमित कुमार, थाना—रामगढ़, फिरोजाबाद।
7. **एसओजी टीमः—1.** आरक्षी 1031 रविन्द्र कुमार, **2.** आरक्षी 594 भगत सिंह, **3.** आरक्षी 1192 नदीम खॉन, **4.** आरक्षी 1412 पवन कुमार।
8. **सर्विलान्स टीमः— 1.** है0का0 673 आशीष शुक्ला, **2.** आरक्षी 1361 अमित उपाध्याय, **3.** आरक्षी 1337 मुकेश कुमार **4.** आरक्षी 118 रघुराज सिंह **5.** आरक्षी 821 अनिल गुप्ता।
9. **एस0टी0एस0 टीमः—** 1. आरक्षी लव प्रकाश 2. प्रवीन कुमार, 3. प्रेम कुमार, 4. रविकान्त।

**नोटः—** उपरोक्त अभियुक्तों को भारी मात्रा में अवैध असलाहों व डकैती/चारी के माल के साथ गिरफ्तार किये जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000/—रूपये के नकद पुरूस्कार की घोषणा की गई है।